



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224033
CG-DL-E-01012021-224033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]
No. 567]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/पौष 8, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/PAUSHA 8, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

फा. सं. NEIGR-E.11/15/2008/Pt.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की उपबंध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता - वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीएसएस (पेंशन नियम, 1972) के नियम 80 के तहत स्वीकार्य सेवा के वर्षों के लाभ लागू होते हैं या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6	7	8
निदेशक	01(एक)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क'	स्तर-17 अधिकतम 2,25,000/- (एनपीए को मिलाकर) अधिकतम रु 2,37,500/-	चयन	60 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए रियायत) और उक्त पद के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।	हाँ	<p>i. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की तीसरी अनुसूची की पहली या दूसरी अनुसूची या भाग- II में वर्णित एक चिकित्सा योग्यता का होना। (तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी उपधारा में अधिनियम की धारा 13 की निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं)</p> <p>ii. चिकित्सा या सर्जरी या सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यापक प्रमुख के तहत एक मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता।</p> <p>iii. उम्मीदवार का भारतीय स्टेट मेडिकल काउंसिल / मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।</p> <p>अनुभव:</p> <p>i. कम से कम चौदह वर्ष का शिक्षण/ अनुसंधान का अनुभव।</p> <p>ii. 21 साल से अपने पेशे में सेवासरत रहे हो।</p> <p>iii. चिकित्सा राहत, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में व्यापक व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक / शैक्षिक संस्थान को वतौर प्रमुख के रूप में या विभाग प्रमुख के रूप में चलाने का अनुभव। (शैक्षणिक योग्यता के संबंध में योग्य उम्मीदवारों के मामले में केंद्र सरकार के विवेक पर छूट दी गई है।)</p>

9	10	11	12	13
पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता लागू होगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति	पदोन्नति / आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में, चयन जिस ग्रेड से किया जाएगा	चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना
लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) / आमेलन / सीधी भर्ती।	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / आमेलन निम्न केंद्रीय / राज्य सरकार के अधिकारियों / स्वायत्त संगठनों / अनुसंधान संस्थानों / विश्वविद्यालयों से किया जाएगा: मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण; या दो साल की नियमित सेवा के साथ पे लेवल 15 में रु.1,82,200 / - (प्री-रिवाइज्ड पे बैंड रु.67000-79000 एचएजी ग्रेड) या पे लेवल 14-A. रु 1,59,100 / - में पांच साल के साथ (प्री-रिवाइज्ड पे बैंड 4 रु 37400-67000 एजीपी रु 1500 के साथ) या नियमित आधार पर समकक्ष और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने का आधार।	संस्थान की शासी परिपद द्वारा गठित स्थायी चयन समिति।

प्रोफेसर पृथ्वीश भट्टाचार्या, निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./419/2020-21]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES, SHILLONG)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2020

F. No. NEIGR-E.11/15/2008Pt..—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, namely:-

- Short title and commencement.**—These Rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, Director, NEIGRIHMS (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2020.
- Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**—No person,
 - Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Corresponding level as per Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 80 of the CSS (Pension Rules, 1972)	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Director	01 (one)	General Central Service Group 'A'	Level 17 Rs.2,25,000/- fixed (inclusive of NPA) subject to a maximum of Rs.2,37,500/-	Selection	Not exceeding 60 years (relaxable for Govt. Servants) and the retirement age for the post is 65 years.	Yes	<p>i. A medical qualification included in the First or Second Schedule or part-II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (persons possessing qualifications included in part-II of the Third Schedule also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Act)</p> <p>ii. A recognized Post-graduate qualification under broad head of Medicine or Surgery or Public Health.</p> <p>iii. The candidate must be registered with the State Medical Council/Medical Council of India.</p> <p><u>Experience:</u></p> <p>i. Teaching and/or research experience of not less than fourteen years.</p> <p>ii. 21 years standing in the profession.</p> <p>iii. Extensive practical and administrative experience in the field of medical relief, medical research, medical education or public health organization and experience of running important scientific/educational institute either as its Head or as Head of the Department (qualification relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified).</p>

9	10	11	12	13
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation	Method of recruitment	In case of promotion/absorption/Deputation, the grade from which the selection will be made	Composition of Selection Committee/Departmental Promotion Committee
Not applicable	One year for direct recruits	Deputation (including short-term contract)/absorption/direct recruitment.	Deputation (including short term contract)/Absorption shall be made from officers of Central/State Govt./Autonomous Organisations/Research Institutions/Universities: Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or with two years regular service in the Pay Level 15 Rs.1,82,200/- (pre-revised Pay Band Rs.67000-79000 HAG Grade) or with five years in the Pay Level 14-A Rs.1,59,100/- (pre-revised Pay Band 4 Rs.37400-67000 with AGP Rs.10500) or equivalent on regular basis and possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits.	Standing Selection Committee constituted by the Governing Council of the Institute.

Prof. PRITHWIS BHATTACHARYYA, Director

[ADVT.-III/4/Exty./419/2020-21]